

मुख्य बातें

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक संघ सरकार की प्राप्तियों की लेखापरीक्षा करते हैं। इस प्रतिवेदन में प्रत्यक्ष कर प्रशासन से संबंधित सभी पहलुओं पर यथा लागू आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों तथा सम्बद्ध नियमों, प्रक्रियाओं, निर्देशों आदि के अनुपालन की प्राथमिक रूप से चर्चा की गई है। इस प्रतिवेदन में छह अध्याय सम्मिलित हैं जिनकी मुख्य बातों की चर्चा नीचे की गई है:

अध्याय I: प्रत्यक्ष कर प्रशासन

वित्तीय वर्ष (वि.व.) 2018-19 में संघ सरकार की प्रत्यक्ष कर प्राप्तियां ₹ 11,37,718 करोड़ थीं, जिसमें वि.व. 2017-18 (₹ 10,02,738 करोड़) की तुलना में 13.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। प्रत्यक्ष कर वि.व. 2018-19 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 6.0 प्रतिशत था। सकल कर राजस्व में प्रत्यक्ष कर का भाग वि.व. 2017-18 में 52.2 प्रतिशत से बढ़कर वि.व. 2018-19 में 54.7 प्रतिशत हो गया।

प्रत्यक्ष कर के दो प्रमुख संघटकों में से, निगम कर से संग्रहण वि.व. 2017-18 में ₹ 5.71 लाख करोड़ से 16.2 प्रतिशत बढ़कर वि.व. 2018-19 में ₹ 6.64 लाख करोड़ हो गया। आयकर से संग्रहण वि.व. 2017-18 में ₹ 4.08 लाख करोड़ से 13.1 प्रतिशत बढ़कर वि.व. 2018-19 में ₹ 4.62 लाख करोड़ हो गया। निर्धारितियों द्वारा स्वैच्छिक अनुपालना (निर्धारण-पूर्व चरण) से वि.व. 2018-19 में निगम और आयकर के कुल संग्रहणों का 82.6 प्रतिशत संग्रहित किया गया था।

गैर-निगमित निर्धारितियों की संख्या 15.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए वि.व. 2017-18 में 5.38 करोड़ से बढ़कर वि.व. 2018-19 में 6.20 करोड़ हो गई। निगमित निर्धारितियों की संख्या 5.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए वि.व. 2017-18 में 7.99 लाख से बढ़कर वि.व. 2018-19 में 8.46 लाख हो गई।

विगत तीन वित्तीय वर्षों में निगम कर के प्रथम तिमाही से संग्रहण के अतिरिक्त कुल प्रतिदाय की राशि का 40 प्रतिशत से ज्यादा, पिछले वर्षों के संग्रहण में से इन वित्तीय वर्षों की पहली तिमाहियों में ही प्रतिदाय कर दिया गया।

बकाया मांग वि.व. 2017-18 में ₹ 11.1 लाख करोड़ से बढ़कर वि.व. 2018-19 में ₹ 12.3 लाख करोड़ हो गई। जबकि मुश्किल से वसूली जाने वाली मांग में वृद्धि के कारण निवल संग्रहण योग्य मांग वि.व. 2017-18 में ₹ 20,159 करोड़ की तुलना में वि.व. 2018-19 में ₹ 14,593 करोड़ तक घट गई। विभाग ने दर्शाया कि 98.8 प्रतिशत से अधिक की असंग्रहीत मांग की वसूली मुश्किल है।

सीआईटी (अपील) के पास लम्बित अपीलों की संख्या वि.व. 2017-18 में 3.0 लाख से बढ़कर वि.व. 2018-19 में 3.4 लाख हो गई। इन मामलों में अवरूद्ध राशि वि.व. 2018-19 में 5.6 लाख करोड़ थी। उच्च स्तरों (आईटीएटी/उच्च न्यायालयों/सर्वोच्च न्यायालय) में लंबित कुल मामले वि.व. 2017-18 में 0.82 लाख से बढ़कर वि.व. 2018-19 में 1.35 लाख हो गए।

अध्याय II: लेखापरीक्षा अधिदेश, उत्पाद और प्रभाव

वि.व. 2017-18 के दौरान आयकर विभाग (आईटीडी) ने वि.व. 2018-19 की लेखापरीक्षा योजना के अनुसार लेखापरीक्षित की गई इकाईयों में 2.99 लाख संवीक्षा निर्धारण पूरे किये थे, जिसमें से हमने 2.72 लाख मामलों की जांच की। इसके अतिरिक्त, वि.व. 2018-19 के दौरान पूर्व वित्तीय वर्षों में पूरे किये गये 1.59 लाख संवीक्षा निर्धारण में से हमने 0.60 लाख मामलों की भी लेखापरीक्षा की। वि.व. 2018-19 के दौरान लेखापरीक्षा में जांच किये गये निर्धारणों में विगत वर्ष 6.45 प्रतिशत के प्रति इस वर्ष 5.95 प्रतिशत (19,768 मामले) में त्रुटियाँ देखी गई थी।

विगत वर्षों में निगम कर और आयकर निर्धारण मामलों के संबंध में सतत् और व्यापक अनियमितताएं रही हैं। पूर्व लेखापरीक्षा रिपोर्ट में बार-बार इंगित करने के बावजूद ऐसी अनियमितताएं बार-बार होना, विभाग में संरचनात्मक कमजोरी के साथ-साथ इनमें सुधार के लिए आवश्यक सस्थांगत तंत्र की कमी की ओर इशारा करती हैं। ऐसी अनियमितताएं विशेषतः महाराष्ट्र के निर्धारण प्रभारों में देखी गई थीं।

हमने इस रिपोर्ट के अध्याय III और IV में मंत्रालय को सूचित किये गये 393 उच्च मूल्य के मामले शामिल किये हैं। इनमें से, 30 जून 2020, तक हमने 190 मामलों के संबंध में उत्तर प्राप्त किये, जिनमें से 174 मामले (91.5 प्रतिशत) स्वीकार किये गये थे और 16 मामले स्वीकृत नहीं किये गये थे। शेष 203 मामलों में मंत्रालय/आयकर विभाग ने उत्तर नहीं दिया। इसके अलावा, अध्याय V में अधिनियम की धाराओं '234ए, 234बी, 234सी और

244ए के अधीन ब्याज' पर एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा की हमारी रिपोर्ट को शामिल किया गया है। अध्याय बताता है कि ब्याज की गलत गणना या तो निर्धारण सूचना प्रणाली (एएसटी) में प्रणालीगत कमियों के कारण या निर्धारण अधिकारियों (ए.ओ.) द्वारा गलत हस्तक्षेप/गणना के कारण हुई थी। एएसटी में मैनुअल हस्तक्षेप की सुविधा की उपलब्धता का दुरुपयोग निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिक राशि पर ब्याज को संशोधित करके किया गया था जिसके कारण निर्धारिती का प्रतिदाय अवरूद्ध हो गया था। ब्याज की गणना के संबंध में प्रणाली की कमी अभी भी नए एप्लीकेशन अर्थात् “इन्कम टैक्स बिज़नेस एप्लीकेशन” में बनी हुई है। इसके अतिरिक्त इस रिपोर्ट के अध्याय VI में एक दीर्घ ड्राफ्ट पैराग्राफ अर्थात् “पेनी स्टॉक्स पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ” अलग से शामिल किया गया है।

विगत तीन वर्षों में आयकर विभाग ने निर्धारणों में उन त्रुटियों, जिन्हें हमारे द्वारा उठाया गया था, को सुधारने के लिए की गई मांगों से ₹ 657.94 करोड़ वसूल किए थे। 53,117 ऐसे मामले हैं जिनमें ₹ 1.20 लाख करोड़ का राजस्व प्रभाव शामिल हैं, जिनका आयकर विभाग से उत्तर के अभाव में 31 मार्च 2019 तक निपटान नहीं हुआ था।

वि.व. 2018-19 के दौरान ₹ 2,237.05 करोड़ के कर प्रभाव वाले 1,961 मामले किसी सुधारात्मक कार्रवाई किये जाने के लिए समय बाधित हो गये।

पिछले तीन वर्षों के दौरान, 82 प्रतिशत से अधिक व्यक्तिगत करदाता, फार्म 26एएस में उपलब्ध राशि और करदाताओं द्वारा आईटीआर में दावा की गई राशि में कारण बेमेल टीडीएस की समस्या का सामना कर रहे हैं जिसमें बहुसंख्यक वेतन भोगी करदाता हैं।

टीडीएस राशि के बेमेल होने के संभावित कारण हो सकते हैं - कटौतीकर्ता ने समय पर टीडीएस जमा नहीं किया, समय पर तिमाही टीडीएस रिटर्न फाइल नहीं की, टीडीएस रिटर्न में दर्ज गलत राशि, गलत पैन उद्धृत करना, आईटीआर में कटौतीकर्ता का गलत रूप से दर्ज टेन, निर्धारण वर्ष के चयन में त्रुटि। इसके परिणामस्वरूप, आयकर विभाग ने टीडीएस के लिए क्रेडिट नहीं दिया, जिसके परिणामस्वरूप या तो मांग बढ़ गई या आयकर विभाग द्वारा प्रतिदाय जारी नहीं किया गया, जिससे निर्धारितियों, विशेष रूप से व्यक्तिगत निर्धारितियों का उत्पीड़न हुआ।

बेमेल टीडीएस के कारण, उनके समाधान की स्थिति, समाधान का तरीका, विभाग के प्रयास, साथ ही साथ आयकर विभाग द्वारा साझा की गई

जानकारी की सत्यता और पूर्णता आदि की जांच करने के लिए हमने लेखापरीक्षा करने का प्रयास किया।

लेकिन, हम लेखापरीक्षा नहीं कर सके क्योंकि निर्धारण रिकॉर्ड क्षेत्राधिकारी निर्धारण अधिकारियों के पास उपलब्ध नहीं थे, क्योंकि उन्हें निर्धारण वर्ष के दो वर्षों के बाद भी सीपीसी-बेंगलुरु द्वारा आगे नहीं भेजा गया था।

लेखापरीक्षा को पूरा करने के लिए संगत जानकारी प्रस्तुत करने में विभाग की अक्षमता ने सीएजी को अपने संवैधानिक अधिदेश को पूरा करने से रोक दिया।

आयकर विभाग को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि क्या यह बेमेलता आईटी प्रणाली के कारण थी या सही रिटर्न/जानकारी प्रस्तुत करने में कटौतीकर्ता की विफलता के कारण थी। कटौतीकर्ताओं की विफलता के मामले में, आयकर विभाग द्वारा अधिनियम के तहत दोषी कटौतीकर्ताओं के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। यह भी अभिनिश्चित करना आवश्यक है कि कितने मामलों में आयकर विभाग द्वारा बेमेलता की वजह से करदाताओं से मांग की गई, जिसके कारण करदाता को परेशानी हुई। आयकर विभाग को बेमेलता की जांच कर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उस व्यक्ति पर कोई कर नहीं लगाया जाये जिसे कर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।

अध्याय III: निगम कर

हमने ₹ 8,210.43 करोड़ के कर प्रभाव वाले निगम कर से संबंधित 316 उच्च मूल्य के मामले इंगित किये। हमने इन मामलों को चार व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया है जैसे-

- (क) निर्धारणों की गुणवत्ता जिसमें ₹ 1,477.60 करोड़ (51 मामले) का कर प्रभाव शामिल है;
- (ख) कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन जिसमें ₹ 5,456.76 करोड़ (176 मामले) का कर प्रभाव शामिल है;
- (ग) त्रुटियों के कारण निर्धारण से छूट गई आय जिसमें ₹ 1,043.41 करोड़ (77 मामले) का कर प्रभाव शामिल है और
- (घ) कर/ब्याज का अधिक प्रभार जिसमें ₹ 232.66 करोड़ (12 मामले) शामिल है।

अध्याय IV: आयकर

हमने ₹ 170.36 करोड़ के कर प्रभाव वाले आयकर के 77 उच्च मूल्य के मामले इंगित किये। हमने इन मामलों को चार व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया है जैसे-

- (क) निर्धारणों की गुणवत्ता जिसमें ₹ 19.05 करोड़ (29 मामले) का कर प्रभाव शामिल है;
- (ख) कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन जिसमें ₹ 121.72 करोड़ (30 मामले) का कर प्रभाव शामिल है;
- (ग) त्रुटियों के कारण निर्धारण से छूट गई आय जिसमें ₹ 26.27 करोड़ (17 मामले) का कर प्रभाव शामिल है और
- (घ) कर/ब्याज का अधिक प्रभार जिसमें ₹ 3.32 करोड़ (एक मामला) शामिल है।

निर्धारण अधिकारियों (एओ) ने अधिनियम में स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद निर्धारणों में त्रुटियां कीं। आय और कर की संगणना में अंकगणितीय त्रुटियों वाले गलत निर्धारणों के मामले केलकुलेटर और कम्प्यूटर के समय में मात्र त्रुटियों के रूप में स्वीकार किए जाने कठिन हैं। इसके अतिरिक्त कर और अधिभार की गलत दरों का लागू करना, ब्याज के उद्ग्रहण में त्रुटियां, अधिक अथवा अनियमित प्रतिदाय आदि या तो अक्षमता अथवा की ओर संकेत करती है या बदनियती की ओर और साथ ही आयकर विभाग में आंतरिक नियंत्रणों में कमियों की ओर, जिसे सम्बोधित किए जाने की आवश्यकता है। मौजूदा संवीक्षा निर्धारण पद्धति अपारदर्शी है।

जबकि मंत्रालय ने इन मामलों में सुधार करने के लिए कार्रवाई प्रारम्भ की है, यह उल्लेख किया जाता है कि ये मात्र कुछेक निदर्शी मामले हैं। समस्त निर्धारणों के पूरे यूनीवर्स में, गैर-संवीक्षा निर्धारणों सहित, कई और मामलों में ऐसी त्रुटियां होने या किए जाने की पूरी संभावना है। सीबीडीटी को न केवल अपने निर्धारणों की पुनः जांच करने की आवश्यकता है बल्कि इस प्रकार की त्रुटियों को समाप्त करने के लिए एक त्रुटिरहित आईटी सिस्टम और आंतरिक नियंत्रण तंत्र भी रखने की आवश्यकता है।

त्रुटियों की पुनरावृत्ति के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए आयकर विभाग को ऐसी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उपचारी कदम उठाने चाहिए।

यह सुझाव दिया जाता है कि सीबीडीटी जांच करें कि क्या पाई गई 'त्रुटियों' के दृष्टांत भूल के या जानबूझ कर किए गये हैं और यदि ये जानबूझ कर की गई त्रुटियां हैं, तो आयकर विभाग को कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए।

अध्याय V: अधिनियम की धारा 234ए, 234बी, 234सी और 244ए के अधीन ब्याज

हमने 6,217 निर्धारण मामलों जिन्हें एएसटी मॉड्यूल/ प्रणाली के माध्यम से संसाधित/पूरा किया गया था, की लेखापरीक्षा की और ब्याज की शुद्धता की, जिसकी प्रणाली के माध्यम से गणना की गई थी और आयकर अधिनियम की धाराओं 234ए, 234बी, 234सी और 244ए के अन्तर्गत निर्धारण अधिकारी द्वारा संशोधित किया गया था, की जांच की। हमने पाया कि ब्याज की गणना 70.51 प्रतिशत मामलों में एएसटी प्रणाली के माध्यम से गलत तरीके से की गई थी। ब्याज की गलत राशि की गणना गलत की गई थी। बावजूद इसके कि इस प्रणाली को, अन्य बातों के साथ-साथ, आयकर अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत ब्याज की गणना के निर्धारण कार्यों के लिए बनाया गया था।

लेखापरीक्षा परिणाम इस प्रकार हैं:

- क) प्रणालीगत कमियों के कारण अथवा निर्धारण अधिकारी द्वारा गलत हस्तक्षेप के कारण 8,35,727 अभिलेखों की संख्या में से चयनित 6,217 के नमूनों के मामलों के 76.68 प्रतिशत¹ में आईटीडी द्वारा ब्याज को गलत रूप से परिकलित किया गया था।
- ख) अन्य आईटीडी मॉड्यूल के इनपुट को एएसटी प्रणाली में उचित रूप से कैप्चर नहीं किया जा रहा था इसके परिणामस्वरूप काफी मामलों में ब्याज का गलत परिकलन हुआ जिससे अंतिम कर संग्रहण तथा प्रतिदाय पर प्रभाव पड़ा।
- ग) निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धाराओं 234ए, 234बी, 234सी तथा 244ए के अन्तर्गत प्रणाली के माध्यम से परिकलित गलत ब्याज को सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, भले ही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ब्याज के मूल्य को संशोधित करने के लिए निर्धारण अधिकारी को एएसटी प्रणाली ने अनुमत किया, जिसके

¹ 6,217 निर्धारण मामलों में से 4,767 निर्धारण मामले जिन्हें लेखापरीक्षित किया गया था।

परिणामस्वरूप या तो कम उदग्रहण/भुगतान हुआ अथवा ब्याज का अधिक उदग्रहण/भुगतान हुआ।

घ) निर्धारण अधिकारी ने कुछ मामलों में प्रणाली के माध्यम से परिकलित गलत ब्याज को अधिनियम की धाराएं 234ए, 234बी, 234सी तथा 244ए के तहत संशोधित किया। तथापि इन सभी मामलों को सही राशि पर संशोधित नहीं किया था, जिसके परिणामस्वरूप ब्याज का या तो कम उदग्रहण/भुगतान अथवा अधिक उदग्रहण/भुगतान हुआ।

ङ) जहां ब्याज की सही राशि को प्रणाली के माध्यम से परिकलित किया गया था वहाँ निर्धारण अधिकारी ने ब्याज राशि को मैनुअल रूप से संशोधित किया, जो कि उचित नहीं था, इसके परिणामस्वरूप ब्याज का या तो कम उदग्रहण/भुगतान अथवा अधिक उदग्रहण/भुगतान हुआ जिसके कारण करदाता को कठिनाई तथा उत्पीड़न हुआ।

यह स्पष्ट नहीं है, कि मानवीय रूप से संशोधन को क्यों अनुमत किया गया है, यदि अपवादात्मक मामलों में मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता है, तो वह भी स्पष्ट रूप से वरिष्ठ स्तर पर अनुमोदन प्राप्त करने के प्रोटोकॉल के बिना। वास्तव में यदि प्रत्येक स्तर पर मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता है या उसे जारी रखा जाता है तो यह या तो खराब आईटी सिस्टम की ओर अथवा विवेकाधिकार बनाए रखने के लिए बिना स्पष्ट कारण के जानबूझकर प्रयास की ओर इंगित करता है।

च) एएसटी की संशोधन विशेषता का प्रयोग करते हुए निर्धारण अधिकारी द्वारा ब्याज के गलत उदग्रहण (अधिक उदग्रहण) परिणामस्वरूप न केवल निर्धारिती को देय प्रतिदाय को अवरूद्ध किया गया, बल्कि नागरिक चार्टर द्वारा किये गये वादों को भी पूरा नहीं किया जा सका। इससे एक तरफ विभाग की दक्षता प्रभावित हुई और दूसरी तरफ निर्धारिती का अनुचित उत्पीड़न हुआ।

छ) सभी आयकर रिटर्न (आईटीआर) पहले केन्द्रीयकृत संशोधन केन्द्र (सीपीसी), बेंगलूरु में धारा 143(1) के अन्तर्गत संक्षिप्त रूप में संसाधित की जाती है। सीपीसी द्वारा आईटीआर को संसाधित करना पूर्णतया स्वचालित माना जाता है। तथापि, निर्धारिती के प्रतिदाय को सीपीसी के माध्यम से संक्षिप्त तरीके से संसाधित मामलों में भी ब्याज राशि को संशोधन करके अवरूद्ध किया गया था।

ज) करों का निवल संग्रहण प्रतिदायों² के लिए अनुमत करके परिकल्पित किया जाता है। इसलिए अवरूद्ध प्रतिदायों का परिणाम बढ़ा हुआ निवल कर संग्रहण होता है। इसके अलावा ब्याज के अधिक उदग्रहण के कारण निर्धारिती से अनुचित कर मांग के परिणामस्वरूप विवाद तथा इसके अलावा अधिक बकाया होता है। इस प्रकार, प्रतिदाय का अवरूद्ध होना तथा अधिक मांग सरकार के राजस्व संग्रहण पर परिणामी प्रभाव डालते हैं।

ये सिफारिश की जाती है कि

- क) सीबीडीटी कर तथा ब्याज की गणना में त्रुटि को बारंबार रोकने के लिए इन्कम टैक्स बिजनेस एप्लिकेशन (आईटीबीए) में उचित नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था करे।
- ख) प्रत्यक्ष कर के लिए आईटी प्रणाली को इस तरह से तैयार किया जाना चाहिए कि निर्धारिती तथा आयकर अधिकारियों के मध्य शून्य या कम से कम व्यक्तिगत सम्पर्क हो। सरकार प्रत्यक्ष करों के लिए आईटी प्रणाली को सीबीडीटी से एक उचित दूरी पर एक स्वतंत्र सरकारी संस्था या संगठन के साथ रखने पर विचार कर सकती है।
- ग) एएसटी मॉड्यूल ब्याज राशि के मानवीय संशोधन की अनुमति देता है जिसके परिणामस्वरूप ब्याज की गणना में त्रुटियाँ हुई हैं। आईटीडी को एएसटी के माध्यम से ब्याज की गणना में त्रुटियों के कारण और आईटी सिस्टम में मानवीय संशोधन की अनुमति देने के कारणों के बारे में जाँच करनी चाहिए।
- घ) प्रणाली को निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए संशोधन, यदि कोई हो तो, का लेखापरीक्षा ट्रेल उपलब्ध कराने के लिए तैयार किया जाना चाहिए। निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए संशोधनों के लिए सभी औचित्य प्रणाली में उपलब्ध होना चाहिए।
- ड) सीबीडीटी यह जाँच करे कि क्या पाई गई 'त्रुटियों' के दृष्टांत भूल के या जानबूझ कर किए गये त्रुटियों के हैं और यदि ये जानबूझ कर की गई त्रुटियाँ हैं, तो आईटीडी को कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए।

² सीबीडीटी अकाउंट्स मैनुअल का पैरा 7.2.2.

- च) आईटी विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए कि समान प्रकार की अनियमितताओं की पुनरावृत्ति का जोखिम कम से कम हो एओ की जवाबदेही तय करे ।
- छ) सीबीडीटी यह सुनिश्चित करे कि निर्धारिती को देय प्रतिदाय निर्धारित समय सीमा में जारी किया जाए, मैनुअल हस्तक्षेप द्वारा इसे रोकने/अवरूद्ध करने के बजाय नागरिक चार्टर के माध्यम से इसके वादों को कायम रखा जाए।
- ज) ब्याज का कम प्रभार करने के साथ-साथ प्रतिदाय को अवरूद्ध करने के संबंध में निर्धारण अधिकारी की कार्रवाई को जांचा जाए।
- झ) जबकि लेखापरीक्षा ने ऐसे मामलों के नमूने का परिक्षण किया है, एएसटी में संशोधन किए गए हों वहाँ सभी मामलों की जाँच करनी चाहिए। सीबीडीटी को चूक और जानबूझकर की गई गलती के मामलों की पहचान करनी चाहिए एवं कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए।

अध्याय VI: पेनी स्टॉक्स पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ

हमने देखा कि एलटीसीजी दावा करने की आयकर विभाग के पास सूचना होने के बावजूद भी पेनी स्टॉक कंपनियों के शेयरों में व्यापार करने वाले निर्धारितियों की आईटीआर को न तो संवीक्षा हेतु चुना गया था और न ही संवीक्षा हेतु दोबारा खोला गया था। आयकर विभाग ऐसे निर्धारितियों को आईटीआर फाइल करने का नोटिस जारी करने में विफल रहा जो पेनी स्टॉक में व्यापार करते थे परंतु अपनी आईटीआर फाइल नहीं की थी। ऐसे नॉन फाइलर्स की पहचान करने के लिए नॉन फाइलर्स निगरानी प्रणाली का भी प्रभावपूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया गया था। निर्धारण अधिकारियों में इस तथ्य के बावजूद कि परिवर्धन के आधार एक समान थे एलटीसीजी छूट के परिवर्धन में एकरूपता नहीं थी। कुछ मामलों में, निर्धारण अधिकारियों ने दावा किए गए छूट प्राप्त एलटीसीजी के लिए कोई परिवर्धन नहीं किया था जिसके लिए निर्धारण आदेशों में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था। इसके अलावा, निर्धारण अधिकारियों ने विभिन्न प्रतिशतता पर परिवर्धन किए थे जबकि निर्धारितियों ने समान पेनी स्टॉक कंपनियों के शेयरों में व्यापार किया था। आयकर विभाग में पेनी स्टॉक में व्यापार कर रहे लाभार्थियों के मामलों से संव्यवहार करने के लिए कोई पद्धति नहीं थी क्योंकि कुछ मामलों में समस्त बिक्री प्रतिफल को अननुमत किया गया था जबकि कुछ मामलों में केवल दावा

की गई एलटीसीजी को ही अननुमत किया गया था। प्रवेश और निकास प्रदाता को पेनी स्टॉक के लाभार्थी से प्राप्त कमिशन की अननुमति में भी अंतर है।

यह सिफारिश की जाती है कि

- (i) आयकर विभाग सीएसएस मानदंडों को इस प्रकार पुनः परिभाषित करे कि आईटीआर या अन्य स्रोतों से आयकर विभाग के पास उपलब्ध विशिष्ट सूचना का, संविक्षा हेतु मामलों का चुनाव करने में प्रयोग किया जा सके।
- (ii) सीएसएस के अंतर्गत संविक्षा हेतु चयन की पद्धति को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के साथ साझा किया जाए जैसा कि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की 2019 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 9 में कहा गया था ताकि लेखापरीक्षा में देखा जा सके कि क्या संविक्षा हेतु मामलों का चयन सीएसएस मानदंडों के अनुसार हुआ है।
- (iii) आयकर विभाग यह जांच करे कि क्या पेनी स्टॉक पर एलटीसीजी का दावा किए गए मामलों के निर्धारण में हुई त्रुटियां भूल के कारण या जानबूझ कर की गई थी यदि ये त्रुटियां जानबूझ कर की गई थी तो आईटीडी को कानून के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करनी चाहिए।